

मिसल नम्बर-385/18 तारीख रजु 15.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का..... बंनाम

श्री रामसिंह पुत्र सिंह जाति सिंह निवासी रिकरपुर तहसील महवा

### अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

निर्णय:-

दिनांक:-

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रामसिंह ने ग्राम रिकरपुर को भूमि ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चारागाह फसल = रबि/खरीफ संवत 2074 म. कर कर कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चारागाह वाके ग्राम रिकरपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0-00 50 50 गुणा 400 = शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

रजिस्टर ग/ध के पेज नं० 112 पर  
वर्ष 2017-18 में पटवारी/राजस्व लेखाकार  
की राशि कायमी करने 400 रु. 50  
की जमा कायमी वसुली हेतु  
दिनांक 12/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील-महवा

जायब तहसीलदार  
महवा (दौसा)